

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2014/वैशाख 12, 1936

No. 236]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2014/VAISAKHA 12, 1936

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2014

सा.का.नि. 308(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2001 के नियम 9 में, उप-नियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे; अर्थातः—

(12) केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रतिभूतियों के लिए रकम के प्रतिसंदाय की अवधि अधिस्थगन के बिना दस वर्ष होगी और प्रतिभूतियों पर ब्याज का संदाय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

[फा. सं. 5/7/2013-एनएस- III]

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संरक्षक सा.का.नि. 114(अ), तारीख 27 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 587(अ), तारीख 12 सितंबर, 2007 और सा.का.नि. 841 (अ), तारीख 25 नवंबर 2011 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2014

G.S.R. 308 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendment in the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.

2. In the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, in rule 9, after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(12) "The period of repayment of amount against securities, by the Centre and States shall be ten years with no moratorium and the interest on securities shall be paid by the Centre and States on half yearly basis".

[F. No. 5/7/2013-NS.-II]

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note:— The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number G.S.R. 114(E), dated the 27th February, 2001 and amended vide G.S.R. No. 587(E), dated the 12th September, 2007 and G.S.R. No. 841(E), dated the 25th November, 2011.